

न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर
अपील/डिक्री/टीए/3308/2002/हनुमानगढ

- 1-विद्यादेवी पत्निदेवीलाल पुत्र नारायणराम मृतक
- 2-लेखराम पुत्र नारायणराम (मृतक) जरिये विधिक वारिसान:-
 - 2/1- गोपीराम पुत्र लेखराम
 - 2/2- ओमप्रकाश पुत्र लेखराम
 - 2/3-विमला पुत्री लेखराम
 - 2/4-कमला पत्नि लेखराम
- 3- दौलतराम नारायणराम (मृतक) जरिये विधिक वारिसान:-
 - 3/1- विनोद पुत्र दौलतराम
 - 3/2-अमीचन्द पुत्र दौलतराम
 - 3/3-राजोदेवी पुत्री दौलतराम
 - 3/4-धापी पत्नि दौलतराम
- 4--सूरजाराम नारायणराम
- 5-बलराम पुत्र नारायणराम समस्त जाति जाट निवासी ग्राम सालीवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ

—अपीलांटस

बनाम

- 1-अमरी विधवा श्री रामचन्द्र
- 2-हनमान पुत्र रामचन्द्र
- 3-सूरजीत
- 4-मनजीत पुत्रगण ओम प्रकाश (पूर्व के मृतक पुत्र लिछमण)
- 5-देवेन्द्र पुत्र लालचन्द (पूर्व मृतक पुत्र लिछमण) जाति जाट निवासी सालीवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ
- 6- ग्रमोत्थान विद्यापीठ संगरिया जिला हनुमानगढ
- 7-राजस्थान राज्य द्वारा तहसीलदार, राजस्व टिब्बी

—उत्तरवादीगण

खण्ड पीठ

श्री मनोज कुमार ,नाग सदस्य
श्री धूकलराम कसवां, सदस्य

उपस्थित:-

श्री मनीष पाण्डया अधिवक्ता अपीलांट

श्री सुनील पारीक रेस्पों. रेस्पोंडेंट सं.6

रेस्पोंडेंट सं.1से 5 बावजूद सूचना के अनुपस्थित है।

निर्णय

दिनांक : 17-01-2019

यह द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 25(1) राजस्थान जमींदारी विस्वेदारी उन्मूलन अधिनियम 1959 विरुद्ध निर्णय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ के निर्णय एवं दिनांक 14-6-2002 जो उनके द्वारा अपील

संख्या 214 विरुद्ध निर्णय अपरजिला कलेक्टर (जागहनुमानगढ प्रकरण संख्या 494/94 में पारित किया गया है, के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2— अपील के सक्षिप्त तथ्यों अनुसार तहसीलदार टिबी की इकजाई सूचना के आधार पर प्रकरण संख्या 494/94 डिफ्टी कलेक्टर (जागीर एव बिस्वेदारी) श्रीगंगानगर के समक्ष सन 1980 में प्रस्तुत किया गया जिसमें ग्राम सालीवाला के खसरानम्बर 165 की 54 बीघा 10 बिस्वा भूमि स्व. रामचन्द्र व लिछमण पिसरान हरिराम के नाम से बिस्वेदारी की भूमि थी, जिनका स्वर्गवास हो चुका है। चूँकि उक्त भूमि राजस्व रिकार्ड में रामचन्द्र व लिछमण के नाम से बिस्वेदार के रूप में अंकित थी। रामचन्द्र व लिछमण की मृत्यु के बाद उसके वारिसान ने उक्त भूमि दिनांक 21-5-56 को रेस्पोंडेंट संख्या 6 ग्रामोत्थान विद्यापीठ संगरिया को दान कर दी। कालांतर में यह प्रकरण न्यायालय अपर जिला कलेक्टर जागीर हनुमानगढ के यहाँ स्थानान्तरित हुआ। अधीनस्थ अपर जिला कलेक्टर न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 18-5-01 के द्वारा 27 बीघा 10 बिस्वा भूमि धारा 7 जमींदारी विश्वेदारी उन्मूलन अधिनियम के तहत रिज्यूम करने का निर्णय पारित किया गया जिसके विरुद्ध अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ के समक्ष अपील संख्या 214/01 पेश की गयी।

3— अपील पेश होने पर विद्वान अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 14-6-2002 के द्वारा देवदत्त आदि अपीलार्थीगण की अपील पर आदेश पारित करते हुए अपीलार्थीगण के पक्ष में झोप की गयी कार्यवाही को अपास्त करते हुए व देवदत्त आदि अपीलार्थीगण के साथ साथ वर्तमान अपीलार्थीगण की 27 बीघा भूमि को भी राज्य हित में अधिग्रहण करने के आदेश पारित कर दिये। अर्थात् परीक्षण न्यायालय ने दिनांक 18-5-2001 को 27 बीघा भूमि राज्य हित में अधिग्रहण के आदेश दिये थे उसे बढ़ाते हुए 54 बीघा 10 बिस्वा भूमि अधिग्रहण के आदेश पारित कर दिये जिससे ग्रसित होकर अपीलार्थीगण ने यह द्वितीय अपील इस न्यायालय में पेश की है।

4— अपील पर उभयपक्षों के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गयी।

5— विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील मीमों में वर्णित कथनों को दोहरा और मुख्य तर्क दिया कि विद्वान अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय क्षेत्राधिकार विहिन है क्योंकि मूल कार्यवाही जो कि तहसीलदार के समक्ष 54 बीघा भूमि के विक्रय दिनांक 21-5-56 को आधार मानते हुए अधिनियम 1959 की धारा 7 के तहत की गयी थी वह क्षेत्राधिकार विहिन थी उनका आगे तर्क है कि अकृषि प्रयोजनार्थ किसी भूमि का हस्तान्तरण ही प्रतिबन्धित माना गया है जबकि प्रश्नगत भूमि खसरा नम्बर 213 की 26 बीघा 15 बिस्वा ग्राम सालीवाला व रामपुरा बेचिराग के खसरा नम्बर 165 की 27 बीघा 15 बिस्वा कुल 54 बीघा 10 बिस्वा भूमि का पंजीबद्ध हिब्बा नामा दिनांक 21-5-56 को किया गया है जो स्पष्टतया कृषि भूमि है। ऐसी स्थिति में यह स्पष्ट है कि यह हस्तान्तरण कृषि भूमि का है जिससे धारा 7 से किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं होती है। उनका यह भी तर्क है कि परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक

18-5-2001 मृतक व्यक्तियों के विरुद्ध होने से शून्य है क्योंकि जब कार्यवाही संस्थित की गयी थी उस समय रामचन्द्र लिच्छमण ,रामकुमार व जयनारायण मृतक थे जिनके उत्तराधिकारियों को पक्षकार नहीं बनाया गया। जिससे परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय मृतक व्यक्तियों के विरुद्ध होने से मूलतः शून्य है।

6- अभिभाषक अपीलांट का आगे यह भी कथन है कि जब यह तथ्य दोनो ही न्यायालयों के समक्ष स्पष्ट हो गया कि अपीलार्थीगण विवादित भूमि के शर्त 1970 के तहत गैर दाखिलकार के रूप में आवंटी है फिर भी अधिनियम 1959 के तहत इस भूमि को अधिग्रहण करने का आदेश दिया है जबकि विधिक रूप से यह भूमि उपनिवेशन अधिनियम के तहत आवंटित हो गयी एवं खातेदारी सनद मिल गई तो अधिनियम 1959 का कोई प्रावधान इस भूमि पर लागू नहीं होगा। ऐसी स्थिति में दोनो ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय गैर कानून होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अन्त में अपील स्वीकार की जाकर दोनो ही अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निरस्त किये जावे एवं अपीलांटस के विरुद्ध संस्थित कार्यवाही अन्तर्गत नियम 1959 समाप्त किये जाने का निवेदन किया गया।

5- विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेंट ने अपीलाधीन निर्णयों को विधि सम्मत व समवर्ती बताया और निवेदन किया विवादित आराजी रामचन्द्र लिक्षमण व हरीराम के नाम बतौर विस्वेदार रिकार्ड में अंकित थी तथा जमाबन्दी 1946-47 के अनुसार उक्त आराजी फरीद के नाम से गैरदाखिलकार कब्जा काश्त में थी। अतः यह भूमि विस्वेदारों के खुदकाश्त में नहीं थी। इसलिए विद्वान अपीलीय न्यायालय द्वारा 54.10 बीघा भूमि को रिज्यूम करने के सम्बन्ध में जो निर्णय पारित किया गया है उसमें किसी भी प्रकार से कोई स्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अन्त में अपील खारिज करने का निवेदन किया गया।

6- हमने विद्वान अभिभाषकगण उभयपक्ष की ओर से की गयी बहस परमनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का भली भाँति अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि अपर जिला कलक्टर (जागीर) हनुमानगढ के समक्ष एक प्रकरण संख्या 494/94 अन्तर्गत धारा 7 राजस्थान जमींदारी विस्वेदारी उन्मूलन अधिनियम 1956दर्ज हुआ,उसमें अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये और प्रकरण में राजकीय अभिभाषक तथा अप्रार्थी संख्या 3 उपस्थित हुए जिन्हे सुन कर विद्वान अपर जिला कलक्टर ने अप्रार्थी संख्या 4 की हद तक भूमि जो कि 8एमकेएस के प. नं. 1931 220 कि० नं० 1ता 25, 1921 220 कि० नं०15, 1931 221 कि० नं०1 ता 8, 1931 221 कि० नं० 5 व 1921 220 कि०नं० 16, 25 कुल 27-0 बीघा भूमि राज्यहित में रिज्यूम करने का आदेश दिनांक 18-5-2001 को पारित किया गया, जिससे व्यथित होकर श्री देवदत्त आदि ने एक अपील संख्या 214/01 अन्तर्गत धारा 75 एलआरएक्ट न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ के समक्ष प्रस्तुत की। विद्वान अपीलीय न्यायालय ने दोनो पक्षों को सुन कर अपील को खारिज करते हुए

कुल 54.10 बीघा भूमि धारा -7 जमींदारी बिस्वेदारी उन्मूलन अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार भूमि राज्यहित में रिज्यूम करने के आदेश दिये है।

7- पत्रावली के अवलोकन से यह भी दृष्टिगोचर होता है कि विवादित खसरा नम्बर 165 की 54.10 बीघा के बिस्वेदार रामचन्द्र, लिष्मण पिसरान हरिराम थे तथा इनके द्वारा दिनांक 21-5-56 को ग्रामोत्थान विद्यापीठ संगरिया के हक में दान पत्र निष्पादित किया गया था। अधीनस्थ न्यायालयों ने उक्त दानपत्र को सद्भावी माना है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में प्रस्तुत जमाबन्दी सन 1946 में रामचन्द्र आदि बतौर बिस्वेदार एवं फरीद बल्द मोती गैरदाखिलकार का अंकन है जिससे स्पष्ट होता है कि जमींदारी बिस्वेदारी उन्मूलन कानून प्रारंभ होने के समय उक्त बिस्वेदार विवादित आराजी पर काबिज नहीं थे अर्थात् भूमि उनकी खुदकाशत में दर्ज नहीं थी। इसलिए इनका विवादित भूमि पर भौतिक कब्जा नहीं होने से धारा 29 के तहत इन बिस्वेदारों को खातेदार नहीं माना जा सकता है। ऐसी स्थिति में विद्वान अपीलीय न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय में जो निष्कर्ष दिया है, उचित व कानून सम्मत है।

8- जहाँ तक अपीलाट द्वारा प्रस्तुत आवंटन आदेश दिनांक 27-1-71 का प्रश्न है उक्त भूमि दिनांक 21-5-56 को ही बिस्वेदारान ने धारा 7 की अवहेलना कर विवादित आराजी का अन्तरण कर दिया गया था तथा ऐसा कोई साक्ष्य अपीलाट ने पेश नहीं किया जिससे यह साबित हो कि अपीलाट जमींदारी बिस्वेदारी उन्मूलन ,1956 लागू होने के समय गैरदाखिलकार काबिज थे। उक्त विवेचन के आधार पर स्पष्ट है कि खसरा नंबर 165 की 54.10 बीघा भूमि बिस्वेदारों द्वारा भूमि स्वयम् की खुद काशत की नहीं होते हुए दिनांक 21-5-56 ग्रामोत्थान विद्यापीठ संगरिया के पक्ष में रजि० दानपत्र से दान कर दिया गया तथा रेस्पोंडेंट संख्या 8से 12 द्वारा उक्त भूमि दिनांक 22-4-66 को ग्रामोत्थान विद्या पीठ से क्रय की गयी। परन्तु मूल बिस्वेदार द्वारा किया गया दानपत्र धारा 7 के प्रावधानों के विपरीत होने से यह खरीद प्रारम्भतः शून्य है।

9- विद्वान अभिभाषक अपीलाट की ओर से अपील में यह प्रश्न उठाया गया है कि अधीनस्थ परीक्षण न्यायालय द्वारा कार्यवाही मृतक व्यक्तियों के विरुद्ध संस्थित की गयी है क्योंकि परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18-5-01 में अंकित रामचन्द्र, लिष्मण, रामकुवार एवं जयनारायण मृतक थे।

10- जहाँ तक मृतक रामकुमार जयनारायण का प्रश्न है , ये प्रकरण संख्या 494/94 में अप्रार्थी संख्या 4 थे और इनकी ओर से इनके वकील प्रतिनिधित्व कर रहे थे और इनके वकील द्वारा प्रकरण में नो स्टक्शन प्लीड किया गया था। इनका यह दायित्व था कि वक्त बहस इनके वकील मृतक व्यक्तियों के सम्बन्ध में ध्यान दिलाते ,जो आक्षेप इन्होंने यहाँ लिये उक्त आक्षेपों को इनके द्वारा राजस्व अपील प्राधिकारी के समक्ष ही उठाना चाहिए था। इस सम्बन्ध में इन्होंने वहाँ कोई एतराज नहीं उठाया और ना ही कोई मृत्यु प्रमाणपत्र ही प्रस्तुत किया है।

11— जहाँ तक मृतक रामचन्द्र व लिछमण का प्रश्न है इनके सम्बन्ध में भी फौतगी की रिपोर्ट न्यायालय में नहीं की गयी। चूँकि अप्रार्थी संख्या एक ने अपनी समस्त आराजी अप्रार्थी संख्या दो को दान कर दी गयी थी और अप्रार्थी संख्या दो इस कार्यवाही में उपस्थित थे जिन्होंने भूमि क्रय की है इस सम्बन्ध में उनके द्वारा भाग लिया गया है। अतः अपीलांत द्वारा मण्डल के समक्ष हो अपील के माध्यम से आक्षेप लिये गये हैं, वेबुनियाद है।

12— उपरोक्त विवेचन के प्रकाश में यह स्थिति सामने आती है कि विद्वान दोनो अधीनस्थ न्यायालयों के अपीलाधीन निर्णय पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड के अनुरूप व विस्तृत विवेचन कर पारित किये हैं। दोनो अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय समवर्ती हैं, समवर्ती निर्णयों में हम हस्तगत अपील के माध्यम से किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं समझते हैं। परिणामस्वरूप हस्तगत अपील आधार हीन व सारहीनहोने से खारिज किये जाने योग्य है।

13— अतः हस्तगत अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ एवं अपर जिला कलक्टर (जागीर) हनुमानगढ द्वारा पारित निर्णय क्रमशः 14-6-2002, 18-5-2001 यथावत रखे जाते हैं।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(धूकलराम कसवां)
सदस्य

(मनोज कुमार नाग)
सदस्य

अपील / डिक्री / टीए / 3308 / 2002 / हनुमानगढ